न्यायालय जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी–देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(1)राजस्व अपील सं0 07/2024

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र लोहडीराम
2. दामोदर पुत्र लोहडीराम
   जाति मीना निवासी पुरोहितों का बास, तहसील कुंडल जिला दौसा

..... अपीलांट

बनाम

तहसीलदार कुण्डल जिला दौसा

...रेस्पोंडेन्ट

(2) राजस्व अपील सं0 08/2024

भोजराजपुत्र मंगलराम जाति मीना निवासी पुरोहितों का बास, तहसील कुंडल जिला दौसा

..... अपीलांट

बनाम

तहसीलदार कुण्डल जिला दौसा

...रेस्पोंडेन्ट

(3) राजस्व अपील सं0 09/2024

भरतलाल पुत्र मंगलराम जाति मीना निवासी पुरोहितों का बास, तहसील कुंडल जिला दौसा

..... अपीलांट

बनाम

तहसीलदार कुण्डल जिला दौसा

...रेस्पोंडेन्ट

(4) राजस्व अपील सं0 10/2024

मोतीराम पुत्र कालूराम जाति मीना निवासी पुरोहितों का बास, तहसील कुंडल जिला दौसा

..... अपीलांट

बनाम

तहसीलदार कुण्डल जिला दौसा

...रेस्पोंडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 11.6.2024 जो तहसीलदार कुण्डल द्वारा अपीलांट्स के विरूद्ध प्रकरण सं0 71/2023 से 74/2023 में पारित किया गया है।

उपस्थितः–1. श्री मिट्ठन लाल गुर्जर, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से।
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांक 24.12.2024

1. उक्त सभी अपीलों के तथ्य एवं विषयवस्तु लगभग एक समान है। अतः इन सभी अपीलों का निस्तारण एकल निर्णय के द्वारा किया [illegible]।
2. उक्त सभी अपीलों में तहसीलदार कुण्डल [illegible] पक्ष[illegible] बनाया गया है।
3. उक्त सभी अपीलों में अपील[illegible] कुण्डल द्वारा निर्णय जो कि प्रकरण सं0 71/2023 से 74/2023 [illegible] दिनांक 11.6.2024 को पारित किया [illegible] निरस्त करने हेतु यह अपीलें प्रस्तुत की गई है।
4. अधिवक्ता अपीलांट्स ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 10:32:45 IST
Reason: SelfAttested

Devendra
जिला कलेक्टर, दौसा

पटवारी हल्का कालीपहाडी द्वारा दिनांक 24.1.2024 को खसरा नंबर 1122 व 2996 वाके ग्राम पुरोहितों का बास पर तहसील कुंडल की रिपोर्ट अपीलांट के विरूद्ध तहसील कुण्डल के समक्ष पेश की गई। जिस पर तहसीलदार कुण्डल के द्वारा अपीलांट्स को अतिक्रमित रकबे से बेदखल करने करने के आदेश पारित किये गये। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विरुद्ध विधि विधान, प्रक्रिया होने की गरज से काबिले खारिज है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कुण्डल का निर्णय प्राकृतिक न्याय के नियम एवम सामान्य न्याय के सिद्धान्त के विरुद्ध एकतरफा में मनमानी पूर्वक विधि विरुद्ध जारी फरमाया गया है, जो कानूनन कतई गलत है काबिले खारिज है। अधीनस्थ नयायालय द्वारा पत्रावली पर मौजूद जवाब उपस्थित अपीलांट्स एवं उजात को देखे बिना एवम समुचित सुनवाई किये बिना जारी फरमाया गया है। क्योकि अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष नोटिस की पालना में स्वंय उपस्थित होकर यह जवाब पेश किया गया था कि हमने खसरा नम्बर 1122 व 2996 पर कोई कर कोई अतिचार नही किया है। अपीलांट्स का अतिचार है वह खसरा नम्बर 1139 रकबा 0.14 है0 पर है, जो कि आबादी भूमि है। इस संबंध में पूर्व में भी शिकायत पंजीकरण संख्या 2012 एस. डी. ए. यू. एस. 879 दिनांक 18–6–2012 को भी जिला कलेक्टर महोदय के समक्ष इसी चार दीवारी के अतिक्रमण की शिकायत की गई थी जिसकी बाद जांच तहसीलदार ने यह रिपोर्ट पेश की गई कि अप्रार्थीयान का कोई अतिचार नही पाया गया है इस पर जिला कलेक्टर महोदय ने प्रकरण का निस्तारण दिनांक 13–9–2012 को फरमा दिया गया। उक्त तथ्यो को नजरअंदाज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का नवीन अतिचार मानते हुए बेदखली का आदेश मनमानी पूर्ण फरमाया गया है जो काबिले खारिज है। अपीलांट द्वारा अपने जवाब के साथ विपक्षीगण द्वारा दिनांक 18–6–2012 को की गई शिकायती रिपोर्ट इस बिनाय की, कि रोड के लगती हुई भूमि पर मकान बने हुए है। इस पर लक्ष्मीनारायण व उसके भाई दामू पुत्र लोहडीराम, मोतीराम पुत्र कालु, भोजराज पुत्र मंगलराम समस्त जाति मीना निवासी पुरोहितो का बास के रहने वालो ने आम रास्ते पर अतिक्रमण करने की नियत से पत्थर डाल दिये है और रास्ते को अवरुद्ध कर दिया है। उक्त मुलजिमान द्वारा जबरन किये जा रहे आम रास्ते के अतिक्रमण को शीघ्र हटवाया जावे। श्रीमान जी अपीलांट द्वारा खसरा नम्बर 1122 व 2996 के एक इंच भाग पर भी आज दिन तक अतिचार नही किया है। हल्का पटवारी द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत कालीपहाडी के दबाव में झूठी व गलत रिपोर्ट एकतरफा की गई है जो कभी भी मौके पर आकर व पैमाईश कर अपीलांट को नही बताया गया है, बल्कि पटवार मुख्यालय पर बैठकर ही झूठी गलत रिपोर्ट तहसीलदार के समक्ष पेश की गई है। अपीलांट का कोई अतिचार नही होने का सबूत पूर्व शिकायत पंजीयन संख्या 2012 एस. डी. ए. यू. एस. 879 दिनांक 18–6–2012 अतिचार सिद्ध नही होने की तहसीलदार द्वारा जांच रिपोर्ट जिला कलेक्टर महोदय दौसा को पेश की गई है। इससे भी यह सिद्ध होता है कि अपीलांट खसरा नम्बर 1122 व 2996 के अतिचारी नही है और यह तारबन्दी बहुत पुरानी बनी हुई है और कोई अतिचार नवीन नही किया गया है। ऐसी सूरत में भी अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय काबिले खारिज है। सही स्थिति तो यह है कि अपीलांट द्वारा दिनांक 26–12–2011 से अपीलांट मय मोती[illegible] लक्ष्मीनारायण, भोजराज द्वारा खसरा नम्बर 889, 1122, 1000/3010 पर [illegible] लहना पत्नि खैराती, सीताराम पुत्र रामकिशन, छीतर पुत्र [illegible] निवासी पुरोहितो का बास के विरूद्ध हरसहाय मीना निवासी लगातार शिकायते उक्त खसरा नम्बरान पर अतिक्रमण की बाबत श्रीमान तहसीलदार महोदय दौसा, सैंथल, कुण्डल, जिला कलेक्टर महोदय दौसा, एस. डी. ओ. सैंथल के समक्ष परिवाद प्रकरण लगातार दिनांक 26–12–2023 तक ज्ञापन, कानूनी नोटिस, परिवाद, जन सुनवाई, राजस्थान पोर्टल पर शिकायते की जा रही है परन्तु

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 10:32:45 IST
Reason: SelfAttested

Devendra
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तत्कालीन तहसीलदार व वर्तमान तहसीलदार द्वारा भौतिक तौर पर अतिचारियो को बेदखल नही किया गया है लगातार शिकायतो के बावजूद भी विपक्षीगण लगातार अतिचार बढाते चले जा रहे है। तहसीलदार द्वारा आज दिन तक मौके पर जाकर अतिचार को नही रूकवाया गया है, क्योकि विपक्षीगण की मुखिया नहना देवी पत्नि खैराती हाल सरपंच श्रीमती कंचन देवी की सास है और सरपंच पति राकेश की माता जी है जिन्होने एक गिरोह बना रखा है और राजनैतिक पहुंच के बल पर खुले आम अतिचार किये जा रहे है। ये लाठी वाले लोग है एवम अपीलांट का जीना दुभर कर रखा है। हमसे अदावट, रंजिश बहुत पहले से रखते आये है। स्वंय के विरूद्व 2–3 बार बेदखली के आदेश के विरूद्व बेदखल होने की सूरत में हमारे विरूद्व यह झूठी नवीन अतिचार की रिपोर्ट करवाई गई है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त तथ्यो की जानकारी जरिए जवाब एवम मौखिक रूप से बार बार कहने पर एवम एस. डी. ओ. साहब सैंथल के आदेश के बावजूद स्वयं तहसीलदार द्वारा हम पक्षकारान के समक्ष कोई सीमा ज्ञान आज तक नही कराया गया है बल्कि विपक्षीगण के सिद्धशुदा एवम निर्णयशुदा अतिचार की बेदखली नही की गई ऐसी सूरत में निर्णय अधिनस्थ न्यायालय भेदभावपूर्ण एवम मनमानी पूर्वक है अतः निर्णय काबिले खारिज है। तहसीलदार महोदय ने निर्णय जारी किये जाने से पूर्व अपनी स्वंय के द्वारा जारी आदेशिका का ही अवलोकन नही किया गया है।तहसीलदार द्वारा सीमाज्ञान ही 21–3–2024 को करवाया गया गया है और ना ही अपीलांट का जवाब रिकॉर्ड पर लिया है। अपीलांट की उपस्थिति का भी कोई हवाला नही है बल्कि अंतिम आदेशिका दिनांक 11–6–2024 को अपीलांट की अनुपस्थिति दर्ज कर विधि विरुद्ध निर्णय बिना समुचित सुनवाई किये अपीलांट द्वारा उठाये गये उज्र ना अतिचार के तथ्य की जांच किये बिना एवम पटवारी हल्का से जिरह किये बिना विधि विरूद्ध तरीके से निर्णय वैगपूर्ण जारी फरमाया है जो काबिले खारिज है। अपील के जरिए अपीलांट अपने विरूद्व खसरा नम्बर 1122 व 2996 के अतिचार की रिपोर्ट के संबंध में समुचित सुनवाई चाहते है। अपीलांट के समक्ष पुनः सीमाज्ञान करवाई जाकर वास्तविक अतिचारी के विरूद्व कानूनी कार्यवाही चाहते है इस हेतु प्रकरण रिमाण्ड फरमाया जाकर पुनः सही कानून सम्मत बाद सुनवाई पक्षकारान किये जाने हेतु याचना प्रस्तुत है ताकि सही व वास्तविक स्थिति मौके व रिकॉर्ड की स्थिति व अतिचार की वास्तविक स्थिति रिकॉर्ड पर आकर निर्णय हो सके। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ तहसीलदार कुण्डल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.6.2024 को निरस्त फरमाया जाकर सही न्याय निर्णय हेतु एवं विधिसम्मत सुनवाई सबूत पेश किये जाने हेतु न्याय हित में पत्रावली तहसीलदार कुण्डल को रिमाण्ड फरमाई जावे।

5. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का कालीपहाडी द्वारा प्रस्तुत करने पर भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त कुण्डल से जांच करवाई गई। गिरदावर हल्का की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है जिसकी विधिवत तामील करवाई गई है। अपीलांट एवं वारिसान बाद तामील अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहे है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को साक्ष्य/सुनवाई का [illegible] अवसर प्रदान किया गया है। अपीलांट्स ने राजकीय चरागाह (गै0मु0 रास्ता) व [illegible] पक्का आवास एवं टीनशैड एवं चारदीवारी बनाकर अतिचार किया है। [illegible] की श्रेणी में आते है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांट्स खारिज फरमाई जावे।

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 10:32:45 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Devendra
जिला कलेक्टर,दौसा

7. पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि तहसीलदार कुंडल के द्वारा अपने निर्णय दिनांक 11.6.2024 के द्वारा अपीलांटस को ग्राम पुरोहितों का बास तहसील कुंडल के राजकीय चरागाह भूमि खसरा नंबर 1122 व 2996 पर अतिचार करने पर अतिक्रमियों को भौतिक रूप से बेदखल करने एवं आरोपित शास्ति से दंडित करने का आदेश पारित किया गया था जिससे व्यथित होकर यह अपीलें प्रस्तुत की गई है। तहसीलदार कुंडल द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट्स को नोटिस जारी कर साक्ष्य एवं सबूत पेश करने का अवसर दिया गया। अपीलांट्स ने अपने अतिचार के समर्थन में ऐसा कोई दस्तोजी साक्ष्य अथवा सबूत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये है जिससे यह सिद्ध होता हो कि अपीलांट्स ने राजकीय चरागाह भूमि खसरा नंबर 1122 व 2996 पर अतिचार नहीं किया गया हो। तहसीलदार कुंडल द्वारा पारित निर्णय पूर्णतया विधिसम्मत तरीके से अपीलांट को सुनवाई एवं सबूत का अवसर प्रदान करते हुए पारित किया गया है जिसमें हम कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है। हम अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य समझते है।

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट्स खारिज की जाती है। तहसीलदार कुंडल द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.6.2024 जो कि मिसल नं0 71/2023 से 74/2023 में पारित किये गये है को यथावत बहाल रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। मूल निर्णय राजस्व अपील सं0 07/2024 में रखा जावे एवं शेष राजस्व अपील सं0 08/2024 से 10/2024 में इस निर्णय की छाया प्रति रखी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Devendra

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 24 दिसंबर, 2024 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में नियत समयावधि धि में की जा सकेगी।

Devenda

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

जिला कलेक्टर दौसा

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 10:32:45 IST
Reason: SelfAttested